झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 18.12.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	डॉ0 अनिल मुरमू एवं श्री कुणाल षाड़गी स0वि0स0	वित्त विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 11637 (बिहार) पटना दिनांक- 22.12.2011 द्वारा राज्य के आयुष पद्धति चिकित्सक एवं शिक्षक की सेवानिवृत्ति तिथि 65 वर्ष की गई है। इससे पूर्व झारखण्ड सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 21.07.2011 की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (एलोपैथिक) के कार्यरत चिकित्सा पदा0/दन्त चिकित्सक एवं चिकित्सा शिक्षा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति उम्र भी 65 वर्ष की गई है। झारखण्ड सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में झारखण्ड आयुष चिकित्सों की सेवानिवृत्ति उम्र 65 वर्ष करने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण
02-	सर्वश्री केदार हजरा,जानकी प्रसाद यादव एवं श्री ताला मराण्डी स0वि0स0	"राज्य गठन के पन्द्रह वर्षो बाद भी राज्य के सरकारी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी एवं पदाधिकारी को आज तक पदोन्नति नहीं दी जा सकी है, जिसकी माँग वर्षो से होते रही है" अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि राज्य में सरकारी सेवा में कार्यरत अनुसूचित जाति के सेवकों को पदोन्नति दी जाय।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा
03-	श्री आलोक कुमार चौरसिया स0वि0स0	मेदिनीगर, पलामू के अतिपिछड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र ग्राम- चुकरू में पानी में फ्लोराईड अत्याधिक होने के कारण अधिकतर निवास करने वाले ग्रामीण दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है जिससे वे विकलांग हो	पेयजल एवं स्वच्छता

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		गये है तथा हो रहे है। विगत 2003-04 में उक्त गाँव में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कोयल नदी में एक इन्टक वेल निर्माण किया गया था जिससे पानी लेकर (नव निर्मित पानी टंकी) में स्टोर कर जलापूर्ति करने हेतु उक्त गाँव में पाईप लाईन बिछाई गई थी, जो अधुरी है। परन्तु कुछ महिनों के बाद ही इन्टक वेल भी फेल (खराब) हो गई है जिसके कारण आज तक ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो सका तथा सरकार करोड़ों रूपया उक्त योजना में खर्च किए गये पर आम जनता को उससे कोई लाभ नहीं हुआ। जनहित को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हो इसके लिए अधूरी पड़े योजनाओं को (जिस पर करोड़ों रूपये सरकार द्वारा लगा दिए गए है) उपयोगिता में लाने हेतु उक्त योजना को पूरा कराया जा सके तथा ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके इसके लिए सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहता हूँ।	
04-	श्री अशोक कुमार एव श्री लक्ष्मण टुडू स0वि0स0	राज्य के विभिन्न जिले के ग्राम/टोलों में पूर्व में राजीव गाँधी विधुतीकरण योजना अन्तर्गत ट्रांसफर्मर लगाया गया था। जिसमें गोड्डा जिलान्तर्गत मेहागामा प्रखंड के ग्राम-कलाडुमरिया एवं धोबियाचक मेहरमा प्रखंड के ग्राम- रजौन (संथाली) एवं सिमानपुर, ठाकुरगंगटी प्रखंड के सिमानपुर (पहाड़पुर) एवं धरनिचक (मुसहरी) जैसे करीब साठ-सत्तर गांव/टोलों में लगाए गए 25,16, एवं 10 KVA का ट्रांसफर्मर लगाने के कुछ दिनों के बाद ही जल गया है, जिसे अभी तक नहीं बदला जा सका है, फलस्वरूप जिस गांव/टोले का जला हुआ ट्रांसफर्मर आज तक नहीं बदला गया है, वहाँ के ग्रामीण अंधेरे में है, उन्हें बिजली की सुविधा नहीं मिल पा रहा है। गोड्डा जिलान्तर्गत महगामा, मेहरमा एवं ठाकुरगंगटी प्रखंड के सभी गांव/टोले का जले हुए ट्रांसफर्मर को बदल कर विधुत आपूर्ति बहाल कराने की ओर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराता हूँ।	ऊर्जा
05-	सर्वश्री डॉ0 जीतू चरण राम, जय प्रकाश वर्मा एवं श्री रघुनन्दन मंडल स0वि0स0	केन्द्र सरकार के छठे वेतन आयेग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार एवं बिहार सरकार अपने योग्यताधारी चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों यथा अनुसेवक/ आदेशवाहक अनुसेवक को बिना किसी परीक्षा के प्रोन्नति देते हुए लिपिकीय संवर्ग में उत्तक्रमित कर दिया है। केन्द्र के उक्त छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने सभी कर्मियों के लिए सेवाशर्त्ते एवं वेतनादि का निर्धारण संकल्प संख्या-660/28.02.2008 के द्वारा कर दिया गया है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		परन्तु झारखण्ड राज्य के चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त का निर्धारण केन्द्र के अनुसार अभी तक नहीं किया गया है। जबकि तत्कालीन वित्त सचिव द्वारा इन चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के सेवाशर्त्त के निर्धारण हेतु आदेश दिया गया था। साथ ही इन्हें प्रोन्नति देने हेतु भी राजस्व पर्षद द्वारा भी अनुमोदन केन्द्र दिया गया था। इन चतुर्थवर्गीय कर्मियों को केन्द्र एवं बिहार सरकार के अनुरूप लिपिकीय संवर्ग में उत्क्रमित नहीं कर झारखण्ड सरकार द्वारा समता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अतः लोक महत्व के इस प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए माँग करता हूँ कि बिहार सरकार द्वारा दिये गये अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों को लिपिकीय संवर्ग के पदों में उत्तक्रमण के अनुरूप झारखण्ड सरकार द्वारा भी अपने चतुर्थवर्गीय कर्मियों यथा अनुसेवक/आदेशवाहक अनुसेवक को बिना किसी परीक्षा के एक मुस्त उत्क्रमित करते हुए लिपिकीय संवर्ग में प्रोन्नत घोषित किया जाय।	

राँची,
दिनांक- 18 दिसम्बर, 2015 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3087/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/12/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग/ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/12/15
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3087/वि0 स0, राँची, दिनांक- 17/12/15

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
17/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

17/12